Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.831
Volume - 7, Issue - 01 January - 2024

DOIs:10.2018/SS/202401002 --:-- Research Paper / Article / Review

मिशन कर्मयोगी: सुशासन के लिए जन-उत्साही सिविल सेवकों का निर्माण

प्रवीन चौधरी
राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर
ई-मेल - apclasses2802@gmail.com

शोध सार: मिशन कर्मयोगी भारत सरकार द्वारा भविष्य के लिए तैयार और कुशल सिविल सेवा प्रणाली बनाने की दृष्टि से शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है। यह शोध पत्र 21वीं सदी में प्रभावी शासन देने में सक्षम सार्वजनिक-उत्साही सिविल सेवकों को तैयार करने में मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों, विशेषताओं और संभावित प्रभाव की पड़ताल करता है। अध्ययन कार्यक्रम के प्रमुख तत्वों, इसके डिजाइन और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की जांच करता है। यह सिविल सेवा परिदृश्य को आकार देने, सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देने और व्यापक भलाई के लिए सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण की भूमिका का भी विश्लेषण करता है।

बीजशब्द: सिविल, मिशन, कर्मयोगी, प्रशासन, नौकरशाही ।

1. प्रस्तावना:

मिशन कर्मयोगी "सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी)" है। यह भारतीय नौकरशाही प्रणाली में एक सुधारात्मक पहल है। भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 सितंबर, 2020 को की थी। मिशन का उद्देश्य न केवल शासन को बढ़ाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि भारतीय सिविल सेवक "भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं में डूबे रहें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जबकि वे दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों और प्रथाओं से सीखते हैं" (PIB, 2020, para 3). पॉल एच. एप्पलबी ने अपनी रिपोर्ट (1953) में भारतीय लोक प्रशासन के कैडरों में "कठोरता, प्रशासनिक कार्रवाई की कमी और मानव-संबंध अभिविन्यास" की पहचान की है। (p.563). भारतीय सिविल सेवा (आई. सी. एस.) से भारतीय प्रशासन सेवा (आई. ए. एस.) का परिवर्तन स्वतंत्र भारत के बाद औपनिवेशिक नौकरशाही की विरासत को दर्शाता है। "अफसोस की बात है कि भारत में, हाल के दिनों में 'कलेक्टर की निरंकुशता की लोककथाएं' जो गोरा साहिबों द्वारा मूल निवासियों के साथ क्रूर और घटिया व्यवहार की स्थानीय घटनाओं को याद दिलाती हैं, ने दमनकारी प्रवृत्ति को पोषित किया और निरंतर शक्तिहीन मध्यम और निम्न वर्गों के कैरियर विकल्पों को आकार दिया। (Upadhyay, 2021, p.13). इस तरह के नौकरशाही कामकाज में सुधारों की आवश्यकता थी।

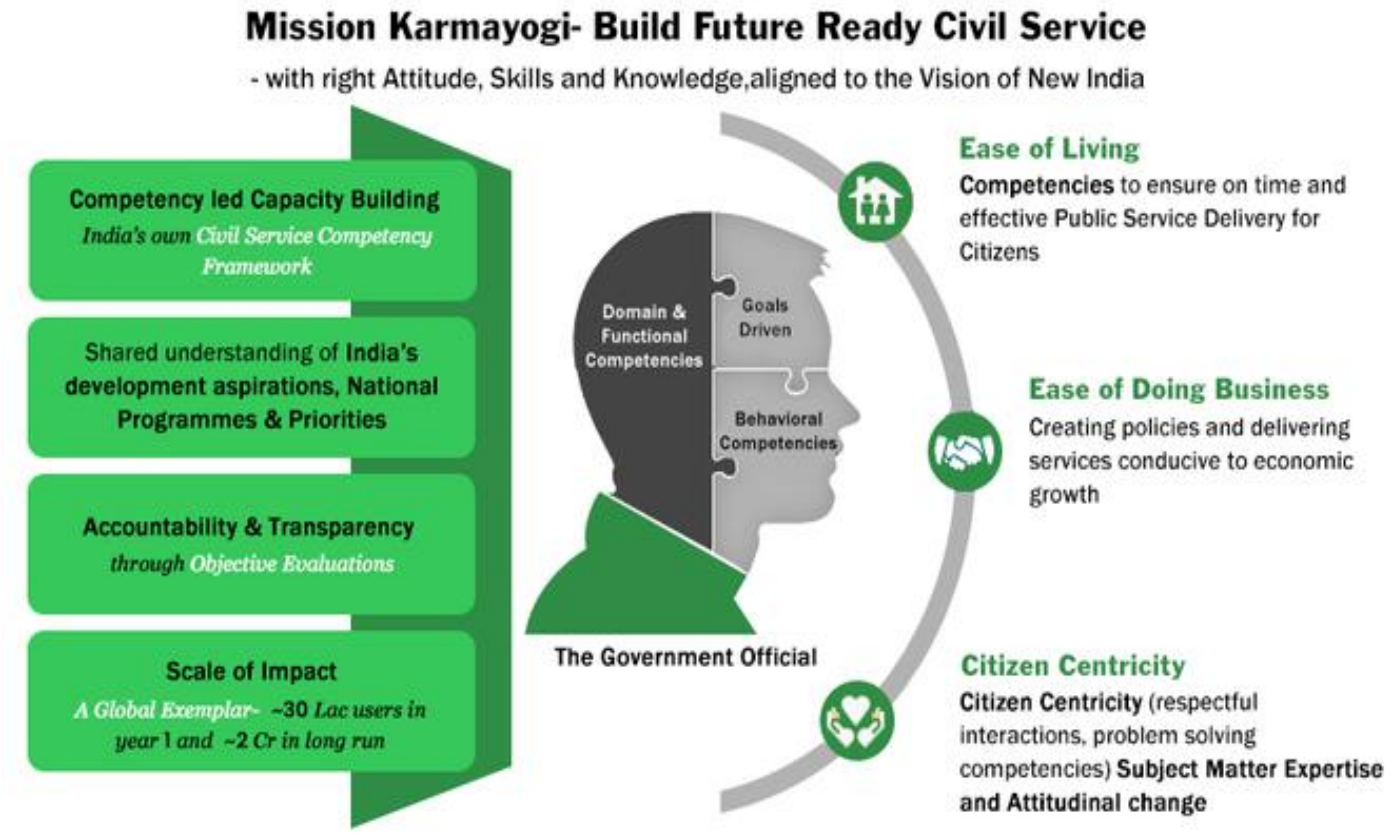

इस योजना के पीछे की भावना सिविल सेवाओं का आदर्श वाक्य है जिसे भगवद गीता में योग कर्मसु कौशलम के रूप में वर्णित किया गया है, जो कार्य में दक्षता को दर्शाता है, अधिकतम परिणाम देने के लिए उत्पादक दक्षता को दर्शाता है। सामान्य भाषा में, इसका अर्थ है कि सभी सिविल सेवकों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कुशल होना चाहिए। एक 'कर्मयोगी' के रूप में सिविल सेवक के एक अन्य आयाम से संरेखित यह योजना उनमें से प्रत्येक द्वारा शांत और स्थिर व्यवहार के लिए शरीर-मन की जटिलता से परे है। यह व्यक्तिगत या चरित्र दक्षता।उत्पादक और व्यक्तिगत दक्षता को अलग नहीं किया जा सकता है। मात्रा के साथ गुणवत्ता का दोगुना आयाम इस दर्शन में निहित है। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवक की आंतरिक दक्षता या व्यक्तित्व दक्षता के एक उज्ज्वल, सार्वभौमिक संदेश द्वारा इस गहन परिवर्तन को लाने का प्रयास करता है। यह स्वामी विवेकानंद द्वारा स्वयं की मुक्ति और विश्व के कल्याण के लिए कही गई "आत्मोमोक्सार्थम जगधित्य सी" के अनुरूप है। लोक सेवा को इस तरह की पूर्णता का लक्ष्य रखना चाहिए।

यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तशदेवेशरो जनः स यत् प्रमाणं कुरूते लोकस्तत् अनुवर्तते ।।

"जो कुछ भी श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, उसके बाद दूसरे लोग करते हैं। वह कार्य द्वारा जो मानक प्रदर्शित करता है, लोग उसका पालन करते हैं"।

मिशन कर्मयोगी एक ऐसी योजना है जो सिविल सेवक को आचरण और व्यवहार के बहुत उच्च मानक बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वह लोगों का विश्वास अर्जित कर सके और अपने साथियों और अधीनस्थों द्वारा अनुकरण किया जा सके। "स्वतंत्र भारत के सामने प्रशासनिक सुधारों की प्रमुख चुनौती नौकरशाही तंत्र को एक संसदीय-संघीय संविधान के अनुकूल बनाने और न्याय और समानता के साथ चुनावी लोकतंत्र और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारियों को निभाने के कार्यों के लिए फिर से तैयार करना था।" (Singh, 2017, p.659)। प्रशासनिक सुधार आयोगों के माध्यम से सिविल सेवाओं में सुधार लाने के प्रयास वांछित परिणाम नहीं दे सके। इसके अलावा, तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन भारत में लोक प्रशासन के लिए एक नए दृष्टिकोण की मांग करते हैं। भारतीय प्रशासन में सुशासन के ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन को बढ़ाने के लिए "मिशन कर्मयोगी" शुरू किया है। एक नए भारत के निर्माण में, नौकरशाह सामाजिक परिवर्तन में, विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, सिविल सेवाओं को आधुनिक

भूमिकाओं के लिए नए कौशल से लैस करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सिविल सेवक का दृष्टिकोण अपने पेशे में "पारदर्शी और निपुण, रचनात्मक और रचनात्मक, कल्पनाशील और अभिनव, सक्रिय और विनम्र, पेशेवर और प्रगतिशील, और ऊर्जावान और सक्षम" विशेषताओं का होना है। ये आधुनिक कर्मयोगी के लक्षण हैं जो "दूसरों के लाभ के लिए किए गए निस्वार्थ कार्य" में विश्वास करते हैं। (Lochtefeld, 2002; Brodd, 2009). यह मिशन कर्मियों और अधिकारी के चरित्र में उत्पादक दक्षता लाना है। यह नौकरशाह की आंतरिक रचना है जिसके कार्यों का लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तर पर सुधारने से निश्चित रूप से सही उद्देश्य के लिए सही कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "यह कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र का एक व्यापक सुधार है (Mission Karmayogi, 2020, p.10). सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षण का यह अभ्यास नए भारत में "जीवन की सुगमता" और "व्यवसाय करने में सुगमता" के सामंजस्य का निर्माण करने के लिए "नीति डिजाइन" और इसके "कार्यान्वयन" के बीच की खाई को पाटना है। भारत जैसे विकासशील देश में लोग राज्य की कल्याणकारी सेवाओं पर निर्भर हैं, इसलिए सेवा वितरण का शासन लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अफरीदी (2017) का मानना है कि सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता आर्थिक विकास को प्रभावित करेगी क्योंकि गरीबी उन्मूलन और मानव पूंजी निर्माण देश में शासन की गुणवत्ता पर निर्भर है।

ऐसे संदर्भ में, सुशासन अच्छे प्रशासकों द्वारा दिया जा सकता है जो अपने व्यावसायिक जीवन में जन-उत्साही हैं। मिशन कर्मयोगी एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य नए भारत के साझा भविष्य के निर्माण के लिए सिविल सेवकों का आधुनिकीकरण करके लोक सेवा की भावना को विकसित करना है। भारत सरकार ने नागरिक चार्टर, प्रशासनिक सुधार और शासन के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जैसे कई तरीकों से "सुशासन" सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रयास किए हैं।

हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन व्यक्तियों के भीतर परिवर्तन लाने के लिए बहुत कम प्रयास किए जा रहे हैं जिन्हें समाज में सामाजिक परिवर्तन लाना चाहिए। मिशन कर्मयोगी का दृष्टिकोण लोगों को कुशल और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में अपने कैरियर प्रक्षेपवक्र को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरणों और प्रशिक्षण के साथ अधिकारियों को सशक्त बनाकर देश की बेहतरी प्रदान करना है। "नियम-आधारित से भूमिका-आधारित" मानव संसाधन प्रबंधन में बदलाव का विचार महात्मा गांधी के ताबीज को दोहराता है। वह ताबीज के बारे में कहता है किः "मैं तुम्हें एक ताबीज दूंगा। जब भी आपको संदेह हो, या जब स्वयं आपके साथ बहुत अधिक हो जाता है, तो निम्नलिखित परीक्षण लागू करें। सबसे गरीब और सबसे कमजोर पुरुष [महिला] के चेहरे को याद करें, जिसे आपने देखा होगा, और अपने आप से पूछें कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, वह उसके [महिला] लिए कोई काम आने वाला है या नहीं। क्या उसे इससे कुछ फायदा होगा? क्या यह उसे अपने जीवन और नियति पर नियंत्रण बहाल कर देगा? दूसरे शब्दों में, क्या यह भूखे और आध्यात्मिक रूप से भूखे लाखों लोगों के लिए स्वराज [स्वतंत्रता] की ओर ले जाएगा? तब आपको अपने संदेह मिल जाएंगे और आप खुद पिघल जाएंगे " (Pyarelal, 9158, p.65).

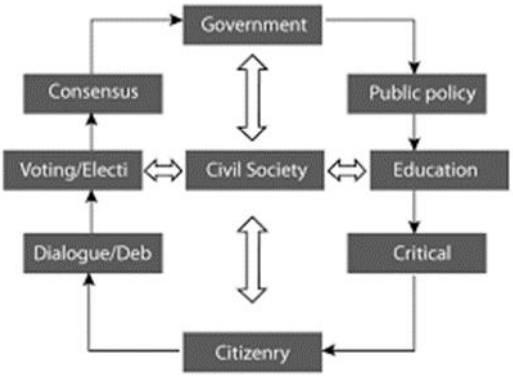

महात्मा गांधी के ताबीज का ऐसा सेवा आदर्श वाक्य मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों में परिलक्षित होता है जिसका उद्देश्य "सही समय पर सही भूमिका के लिए सही व्यक्ति" है (Mission Karmayogi, 2020). इसके अलावा, भारत के पास "जनसांख्यिकीय लाभांश" का एक बड़ा पूल है जिसे नए भारत के निर्माण के लिए सही दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया भारत शांति, एकता, भाईचारे और गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, काला धन, सांप्रदायिकता, जातिवाद और गंदगी से मुक्त देश है। यह तब प्राप्त किया जा सकता है जब भारत में जन-उत्साही सिविल सेवक हों। मिशन कर्मयोगी पहल "सरकारी कर्मचारियों को अपनी सोच, दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने और अपने कौशल में सुधार करने का अवसर प्रदान करती है" (Mission

karmayogi, 2020). इसके अलावा, यह पहल लोक कल्याण और नौकरशाही तंत्र के बीच तालमेल बनाने के लिए प्रशासनिक शासन को फिर से व्यवस्थित करना है। एक सिविल सेवक से गुणी होने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि कौटिल्य के राजा से यह अपेक्षा की जाती है कि "उसकी प्रजा की खुशी में उसका सुख निहित है; उनके कल्याण में उसका कल्याण, जो कुछ भी उसे प्रसन्न करता है उसे अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन जो कुछ भी उसके विषय को खुश करता है, वह उसे अच्छा मानेगा" (Kautilya cited in Ali, 2006, p.376). मिशन कर्मयोगी द्वारा इस तरह की "शासन की कला" एक नए भारत के निर्माण के लिए प्रशासनिक सुधारों में एक मील का पत्थर होगी जो प्रशासनिक नेतृत्व के मामले में "विश्व गुरु" के रूप में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। इस प्रकार, स्थानीय प्रशासन गरीबी, भ्रष्टाचार, असमानताओं के उन्मूलन में नए भारत की वैश्विक आकांक्षा को पूरा करेगा और शांतिपूर्ण, एकीकृत और लचीला नए भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा।

मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यः

मिशन कर्मयोगी के प्राथमिक उद्देश्य हैं:

- निरंतर सीखने और अपस्किलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देकर भविष्य के लिए तैयार और कुशल सिविल सेवा का निर्माण करना।
- एक जन-उत्साही और सहानुभूतिपूर्ण सिविल सेवा का निर्माण करना जो नागरिकों के कल्याण को अपने निर्णय लेने के केंद्र में रखता है।
- शासन के विभिन्न स्तरों पर सिविल सेवकों के बीच सहयोग और ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देना।
- क्षमता निर्माण, प्रदर्शन मूल्यांकन और सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
- सार्वजनिक सेवाओं को देने में सिविल सेवा की समग्र प्रभावशीलता और जवाबदेही को बढ़ाना।

मिशन कर्मयोगी की प्रमुख विशेषताएंः

क) योग्यता ढांचाः यह पहल सिविल सेवकों के कौशल और क्षमताओं का आकलन करने और उन्हें विकसित करने के लिए एक योग्यता-आधारित ढांचा पेश करती है। यह ढांचा समस्या-समाधान, नेतृत्व, संचार और नैतिक निर्णय लेने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। कौशल (एफ. आर. ए. सी.) सहित भूमिकाओं, गतिविधियों और क्षमताओं के लिए रूपरेखा को परिभाषित करने की कवायद का उद्देश्य केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा किया जाना है और इसे आई. जी. ओ. टी.-कर्मयोगी मंच के साथ एकीकृत किया जाना है। एफ. आर. ए. सी. का अभ्यास एक सुसंगत तरीके से आयोजित प्रत्येक स्थिति के बारीक व्याख्या के माध्यम से विभिन्न भूमिकाओं और गतिविधियों की सामग्री को परिभाषित करेगा।

इस प्रकार प्रकट व्यवहार, कार्यात्मक और क्षेत्र की क्षमताएँ एक पद धारक को आवश्यक दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान प्राप्त करके अपनी जिम्मेदारी का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाएंगी। तदनुसार, कार्य आवंटन, कार्य असाइनमेंट, रिक्तियों की अधिसूचना आदि। एफ. आर. ए. सी. मॉडल का पालन करते हुए अंततः आई. जी. ओ. टी.-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, एफआरएसी मॉडल के लिए उपयुक्त सामग्री 70:20:10 नियमों पर भाग लेने वाले संगठनों द्वारा प्रदान की जाएगी (एक सांकेतिक 70% प्रशिक्षण ऑनलाइन, 20% ऑन-द-जॉब और 10% फिजिकल) नई दिल्ली में स्थित आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) को एफआरएसी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है।

ख) डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्मः मिशन कर्मयोगी सीखने और विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे देश में सिविल सेवकों के लिए सुलभ पाठ्यक्रमों, ई-मॉड्यूल और संसाधनों का एक विशाल भंडार प्रदान करता है। सभी सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए एक सामाजिक भलाई के रूप में डिजिटल इंडिया स्टैक के एक अभिन्न अंग के रूप में आई. जी. ओ. टी.-कर्मयोगी का निर्माण करने का प्रस्ताव है। यह किसी भी समय-कहीं भी लगभग 2.5 करोड़ उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए सीख प्रदान करेगा जो अब तक पारंपरिक उपायों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। मंच को अंततः एफआरएसी पर आधारित सामग्री के लिए एक जीवंत और विश्व स्तरीय बाजार के रूप में विकसित करने

का प्रस्ताव है, जो सर्वश्रेष्ठ संस्थानों, स्टार्ट-अप और व्यक्तिगत संसाधनों सहित एक मजबूत ई-लर्निंग सामग्री उद्योग द्वारा समर्थित है, जहां सावधानीपूर्वक क्यूरेट और सत्यापित डिजिटल ई-लर्निंग सामग्री प्रशिक्षण मॉड्यूल के रूप में उपलब्ध होगी।

सिविल सेवकों की भावी पीढ़ियों के लिए क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त ढांचा तैयार किया जाएगा, ताकि वे भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से जुड़े रहें और दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें।

ग) व्यक्तिगत विकास योजनाः सिविल सेवक एक व्यापक प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरते हैं, जिसके बाद उनके कौशल अंतराल और कैरियर की आकांक्षाओं को दूर करने के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाएं बनाई जाती हैं।

घ) निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्कः निगरानी और मूल्यांकन ढांचा व्यक्तिगत शिक्षार्थी, पर्यवेक्षक, संगठन, सहकर्मी समूह, सामग्री प्रदाता, सामग्री निर्माता, प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता आदि सहित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (इसके बाद 'केपीआई' के रूप में संदर्भित) पर आईजीओटी-कर्मयोगी मंच के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन को सक्षम करने के लिए प्रस्तावित है। सरकार के सभी विभागों, संगठनों और एजेंसियों के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) को पकड़ने और वर्तमान पहलों के परिणामों, लक्ष्यों के खिलाफ लक्ष्यों (आईजीओटी-कर्मयोगी डैशबोर्ड से केपीआई सहित) के साथ-साथ भविष्य के सार्वजनिक मानव संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के लिए रोडमैप का दस्तावेजीकरण करने के लिए सत्य डैशबोर्ड और सिविल सेवा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति का एक एकल स्रोत प्रस्तावित किया गया है।

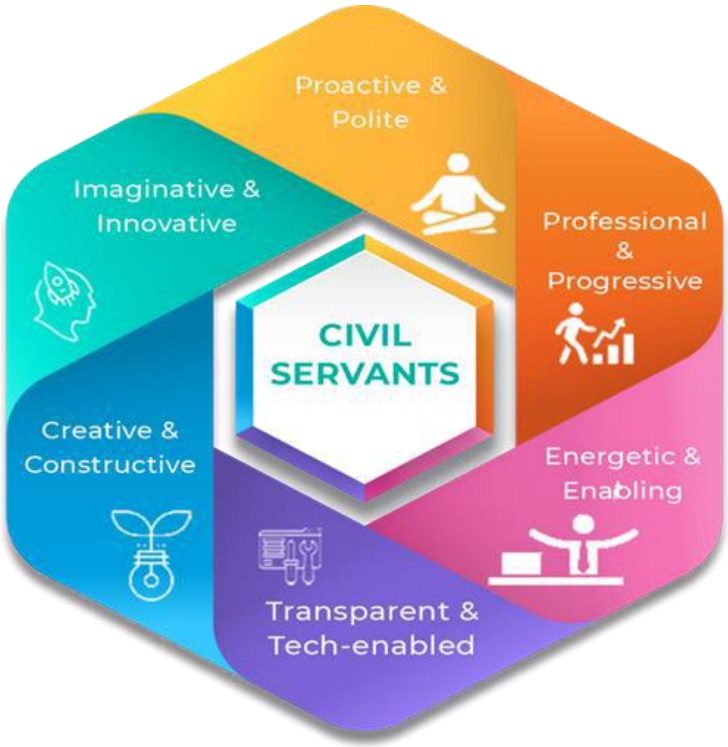

घ) क्षमता निर्माण एवं व्यवहार प्रशिक्षणः यह कार्यक्रम शीर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करता है ताकि विशेष प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुभव प्रदान किया जा सके। तकनीकी कौशल के अलावा, पहल सिविल सेवकों के बीच सहानुभूति, समावेशिता और एक सार्वजनिक केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार प्रशिक्षण पर भी केंद्रित है। एनपीसीएससीबी का उद्देश्य प्रभावी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए सामंजस्य में काम करते हुए, भारत की प्राथमिकताओं की साझा समझ के साथ, भारतीय लोकाचार में निहित एक सक्षम सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन सिविल सेवा को सभी परिवर्तनों के केंद्र में रखना चाहता है, जिससे उन्हें चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। एनपीसीएससीबी का ध्यान सरकार-नागरिक संपर्क को बढ़ाने पर भी है, जिसमें अधिकारी नागरिकों और व्यवसायों के लिए सक्षम बन रहे हैं, व्यवहार-कार्यात्मक-डोमेन दक्षताओं के विकास के साथ जीवन जीने में आसानी और व्यवसाय करने में आसानी हो रही है।

सुशासन पर प्रभावः

मिशन कर्मयोगी में सिविल सेवा और इसके परिणामस्वरूप शासन में कई सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता हैः

क) बेहतर सेवा वितरणः सही कौशल और ज्ञान से लैस लोक सेवक नागरिकों की जरूरतों को कुशलता और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं।

ख) बढ़ी हुई जवाबदेहीः योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन पर जोर देने से सिविल सेवा में जवाबदेही और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

ग) नवाचार और अनुकूलनीयताः निरंतर सीखने और दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं के संपर्क में आने से सिविल सेवकों को नवाचार करने और उभरती चुनौतियों के अनुकूल होने में सक्षम बनाता है।

घ) नागरिकों के साथ विश्वास-निर्माणः एक जन-उत्साही और सहानुभूतिपूर्ण सिविल सेवा सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देती है, जिससे बेहतर जुड़ाव और सहयोग होता है।

चुनौतियां:

प्रशिक्षण को कैरियर की प्रगति और प्रदर्शन से जोड़ना व्यवहार में जटिल है और इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, प्रणालीगत स्वामित्व और उच्च स्तर की पारदर्शिता और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है। जबकि एक केंद्रीकृत वास्तुकला समन्वय और मानकीकरण की पेशकश कर सकती है, एक विविध सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यबल को एक निपुणता की आवश्यकता होती है। योग्यता-आधारित प्रणाली में परिवर्तन को सिविल सेवा के कुछ मजबूत वर्गों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। व्यापक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रतिरोध को कम करने में मदद कर सकते हैं। सीमित कनेक्टिविटी वाले दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता देनी चाहिए। अंतराल की पहचान करने और आवश्यक सुधार करने के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन का नियमित मूल्यांकन और निगरानी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए देश में लोगों की बदलती जरूरतों के लिए खुद को तैयार करने के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। सरकारी कर्मचारी मूल्यों के उच्च मानकों का अनुकरण करेंगे और सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में उनकी दक्षता को सशक्त करेंगे। नीति निर्माण और कार्यान्वयन के बीच तालमेल बनाकर एक नागरिक अनुकूल और नागरिक केंद्रित शासन सुनिश्चित किया जाएगा।

जन-उत्साही सिविल सेवक एक नए भारत के निर्माण में सुशासन देने के लिए तैयार रहेंगे जो भ्रष्टाचार, असमानताओं की सभी बुराइयों से मुक्त होगा और सभी के लिए कल्याण सुनिश्चित करेगा। इस तरह का नया भारत सभी पुरुषों, महिलाओं, अमीरों और गरीबों के लिए उनकी सामाजिक-राजनीतिक पहचान के बावजूद एक समावेशी राष्ट्र का साझा भविष्य है।

समाज के निचले स्तर पर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में महात्मा गांधी के ताबीज के मूल्यों को शामिल किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी भारत सरकार द्वारा एक जन-उत्साही, कुशल और जवाबदेह सिविल सेवा बनाने का एक अग्रणी प्रयास है। निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी अपनाने और योग्यता-आधारित प्रशिक्षण पर जोर देकर, यह पहल सुशासन और नागरिकों की संतुष्टि को बढ़ाने का प्रयास करती है। जबकि चुनौतियां मौजूद हैं, प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के साथ, मिशन कर्मयोगी में सिविल सेवा परिदृश्य में क्रांति लाने और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान करने की क्षमता है। यह कार्यक्रम सरकार में सीखने और मानव संसाधन प्रबंधन में कई परिवर्तनकारी परिवर्तनों की नींव रखेगा। यह पारिस्थितिकी तंत्र में सामाजिक भलाई और नवाचार को बढ़ावा देते हुए क्षमताओं को लगातार बढ़ाएगा और बढ़ाएगा।

जैसे-जैसे हम एक डिजिटल और खुले समाज की ओर बढ़ रहे हैं, यह क्षमता निर्माण को एक राष्ट्रीय मिशन बनाने का प्रयास है जो सरकार को एक आकांक्षी भारत को प्रदान करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और व्यवहार को बदलकर, यह कार्यक्रम शासन परिदृश्य में बदलाव लाएगा, यह सुनिश्चित करेगा कि सिविल सेवाएँ भविष्य के लिए तैयार हों और उनसे अपेक्षित भूमिका को पूरा करें। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम एक बल गुणक बन जाएगा, जो पिछले वर्षों के सिलो को तोड़ देगा और ऊर्जा की एक नई लहर जारी करेगा। यह भारत को न केवल दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र, बल्कि एक समृद्ध, प्रगतिशील और आधुनिक समाज बनने की शक्ति प्रदान करेगा।

संदर्भ:

1. दीपक खांडेकर, 2020, पॉलिसी फ्रैम्वर्क ऑफ मिशन कर्मयोगी, आईएसटीएम जर्नल ऑफ ट्रेनिंग, रिसर्च एंड गवर्नेन्स।
2. अफरीदी, एफ.(2017). गवर्नेन्स एंड पब्लिक सर्विस डेलीवेरी इन इंडिया, इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर, https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2017/05/Afridi-2017-Synthesis-
3. अली, एस. एस. (2006), कौटिल्य एंड द कन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेन्स, द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 375-380. https://www.jstor.org/stable/41856223
4. ब्रॉड, जे. (2009). वर्ल्ड रिलीजियन्स: अ वोऐज ऑफ डिस्कवरी, सेंट मैरी प्रेस।
5. केबिनेट ने मंजूरी दी :मिशन कर्मयोगी "सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी)"(2020), प्रेस ब्युरो ऑफ इंडिया (पीआईबी)।
6. लोचतएफेल्ड, जे. जी. (2002), द इलसट्रेटेड इंसाइकलोपीड़िया ऑफ हिन्दूइस्म, रोजेन।
7. प्यारेलाल,(1958), महात्मा गांधी: लास्ट फेस, वॉल II
8. सिंह, एम. पी. (2017), एडमिनिस्ट्रेटिव रेफॉर्म्स इन इंडिया, पब्लिक ऐड्मिनिस्ट्रैशन इन साउथ एशिया, 135-153. https://doi. org/10.1177/0019556120120403
9. द पॉल एप्पल बाई रिपोर्ट (1953), अवर दिल्ली लेटर, इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, https://www.epw.in/system/files/pdf/1953_5/20/the_appleby_report.pdf
10. ऊपाध्याय, आर. (2021), गोरा सिन्ड्रोम इन न्यू इंडिया एंड द रोड अहेड, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ऐड्मिनिस्ट्रैशन, https://www.iipa.org.in/cms/public/uploads/346371643363710.pdf .